

Please refer to CBIC Letter HRM II/POL2/CGLE/1/2023-Pol o/o ADG-HRM-II DELHI letter dated 09.10.2024 regarding Amendment in Boards Letter F.No. A 32011/03/2015-Ad III A dated 06.01.2021 issuing

Information Sought : clarification with regard to promotion from EA to Inspector - regarding. The following information is sought in this regard.

1. The zones which has provided data in this regard
2. The copy of the replies received from the zones in this regard

Information Provided:

“Point No. 1: Does not pertain to CGST & CX Jaipur Zone. However, report of CGST & CX, Jaipur Zone, Jaipur had been sent to DGHRD.

Point No. 2: A copy of the report dated 24.10.2024 along with enclosures, in respect of Board's letter dated 09.10.2024 regarding amendment in Board's letter F.No. A 32011/03/2015-Ad.III A dated 06.01.2021, of CGST & CX Jaipur Zone, Jaipur, is enclosed.”



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

To,

The Deputy Director (HRM-II),
Central Board of Indirect Taxes and Customs,
Ministry of Finance, Department of Revenue,
Directorate General of Human Resource Development,
409/8, Deep Shikha Building, Rajendra Place,
New Delhi - 110008.

Sir,

Sub: Amendment in Board's letter F.No. A-32011/03/2015-Ad-III A dated 06.01.2021 issuing clarification with regard to promotion from EA to Inspector – reg.

Please refer to DGHRD's letter F.No. HRM-II/POL.2/CGLE/1/2023-Pol-O/o ADG-HRM-II-DELHI dated 09.10.2024 on the above mentioned subject.

2. The issue involved in aforesaid letter dated 09.10.2024 has been examined. It is found that presently there is no Tax Assistant in CGST & Central Excise Jaipur Zone, Jaipur who will be eligible for promotion to the grade of Executive Assistant if this 'particular zone' condition is removed (including under senior junior clause as this is a regular promotion as per RR provisions) from Board's clarification issued vide letter dated F.No. A-32011/03/2015-Ad-III A dated 06.01.2021.

3. In this context, a copy of detailed factual report earlier sent to the Board vide this office letter GCCO/CCA/PROM/35/2020 dated 07.11.2023, with reference to Board's letter F.No. A.32022/15/2023-Ad.III A dated 18.10.2023, is enclosed.

Yours faithfully,

Encl: As above.

**Signed by Mahabir Singh
Meena**

Date: 24-10-2024 16:47:09

(Mahabir Singh Meena)
Additional Commissioner

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, JAIPUR
(कैडर कंट्रोल यूनिट)

फा. सं. GCCO/CCA/PROM/35/2020/1451

दिनांक : 07.11.2023

सेवा में,

श्री रविश कुमार,
अवर सचिव (एडी.आए),
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड,
पॉचवी मंजिल, हुडको विशाला बिल्डिंग,
भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली - 66

महोदय,

विषय : बोर्ड के दिनांक 13.11.2020 और 06.01.2021 के निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट - संबंधित ।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत बोर्ड के पत्र फा. सं. A.32022/15/2023-Ad.IIIA दिनांक 18.10.2023 का अवलोकन करें ।

- उक्त मामले में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र संख्या 365 दिनांक 11.05.2023 का संदर्भ ले जिसमें मामले से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी ।
- लेख है कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर जोन जयपुर, में कार्यकारी सहायक / वरिष्ठ कर सहायक की श्रेणी में दिनांक 18.12.2013 से 27.09.2015 के मध्य उत्पन्न रिक्तियों को भरने हेतु दिनांक 30.05.2014 व दिनांक 23.09.2016 (जो कि दिनांक 06.06.2017 को रिव्यू की गयी) को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी और कुल 27 कर सहायको को वरिष्ठ कर सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था ।
- बोर्ड के पत्र फा. सं. A.32011/03/2015-Ad.IIIA दिनांक 13.11.2020 द्वारा कार्यकारी सहायक पद पर दिनांक 18.12.2013 से 27.09.2015 के मध्य उत्पन्न रिक्तियों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)/ रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त पत्रानुसार जो कर सहायक दिनांक 18.

12.2013 को फीडर कैडर में थे उनको वरिष्ठ कर सहायक के भर्ती नियमों 2003 के अनुसार 3 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर, डीओपीटी के भर्ती नियमों संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 31.12.2010 के पैरा 3.1.3 के आधार पर, कार्यकारी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना था ।

5. बोर्ड के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.11.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय में वरिष्ठ कर सहायक पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में आयोजित की गयी डीपीसी दिनांक 30.05.2014, 23.09.2016 व रिव्यू डीपीसी दिनांक 06.06.2017 के संबंध में दिनांक 23.12.2020 को एक रिव्यू डीपीसी आयोजित की गयी और कुल 27 कर सहायक जिनको कि पूर्व में दिनांक 18.12.2013 से 27.09.2015 के मध्य वरिष्ठ कर सहायक पद पर पदोन्नत किया गया था, को कार्यकारी सहायक पद पर, वरिष्ठ कर सहायक पद पर पदोन्नति की तिथि से, नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी ।

6. तत्पश्चात् बोर्ड कार्यालय के पत्र फा. सं. A.32011/03/2015-Ad.IIIA दिनांक 06.01.2021 द्वारा बोर्ड के पूर्व पत्र दिनांक 13.11.2020 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया । उपरोक्त पत्र के अंतर्गत बिन्दु 3 पर जारी स्पष्टीकरण के अनुसार डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.12.2010 का संरक्षण खण्ड (protection clause) केवल उन्ही कर सहायको पर लागू होगा जो कि दिनांक 18.12.2013 को फीडर कैडर में थे तथा वो ही कर सहायक, पदोन्नति के पात्र होंगे जिन्होंने कार्यकारी सहायक भर्ती नियमों के नोटिफिकेशन तिथि दिनांक 28.09.2015 से पूर्व निर्धारित 3 वर्ष की अर्हक योग्यता पूरी कर ली हो । इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित संरक्षण खण्ड (protection clause) उन कार्मिको पर लागू होगा जो कि दिनांक 18.12.2013 को विशेष क्षेत्र (particular zone) के फीडर कैडर में हो ।

7. दिनांक 18.12.2013 से 28.09.2015 के मध्य की अवधि में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर जोन जयपुर में अन्य जोन से स्थानांतरित कर सहायक, जिनको कि उक्त अवधि में कार्यकारी सहायक पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :-

क्र. सं.	नाम	पूर्व जोन	पूर्व जोन में कार्यभार ग्रहण की तिथि	अन्तर आयुक्तालय स्थानांतरण पर जयपुर जोन में कार्यभार ग्रहण की तिथि	बोर्ड के पत्र दिनांक 13.11.2020 के संदर्भ में कार्यकारी सहायक पद पर पदोन्नति की तिथि	प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	अनिल कुमार मीना	मुम्बई जोन-1	29.11.2011	19.03.2014	01.04.2015 (नोशनल)	01.06.21
2.	रामरूप मीना	मुम्बई जोन-1	28.11.2011	12.11.2014	01.04.2015 (नोशनल)	04.06.21

इसके अतिरिक्त 3 कर सहायक सर्वश्री पवन कुमार चौहान, छोटू लाल व नरेन्द्र सिंह, जो कि जयपुर परिक्षेत्र की कर सहायक पद पर वरीयता सूची में उपरोक्त वर्णित अनिल

कुमार मीना व रामरूप मीना से वरिष्ठ थे, लेकिन उनके द्वारा वर्ष 2015-2016 में पदोन्नति हेतु crucial date दिनांक 01.04.2015 को भर्ती नियमों में निर्धारित 3 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण नहीं की गयी थी, को भर्ती नियमों में उल्लेखित अन्य सेवाओं के पूर्ण करने के कारण वरिष्ठ कनिष्ठ खण्ड (Senior Junior Clause) के तहत दिनांक 01.04.2015 से कार्यकारी सहायक पर पद नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् उक्त 3 अधिकारियों में से 2, सर्वश्री पवन कुमार चौहान व नरेन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी पद पर क्रमशः दिनांक 01.06.2021 व 06.12.2021 से पदोन्नत हो चुके हैं व तीसरे अधिकारी श्री छोटू लाल द्वारा दिनांक 15.01.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली गयी है।

8. बोर्ड कार्यालय के पत्र दिनांक 13.11.2020 में कार्मिक के विशेष क्षेत्र (particular zone) के फीडर कैंडर में होने से संबंधित कोई शर्त उल्लेखित नहीं थी और इस कार्यालय द्वारा कार्यकारी पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी दिनांक 23.12.2020 को ही कर ली गयी थी, जो कि बोर्ड के पत्र दिनांक 06.01.2021 से पूर्व है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित दो अधिकारियों का मंत्रालय के पत्र फा. संख्या A.22015/23/2011-Ad.IIIA दिनांक 27.10.2011 के तहत जयपुर जोन में अन्तर आयुक्तालय स्थानान्तरण किया गया था। उक्त पत्र दिनांक 27.10.2011 के पैरा 2 (i i) के अनुसार उनकी कर सहायक की श्रेणी में पूर्व आयुक्तालय की सेवा अवधि की आगे की पदोन्नति हेतु गणना की जानी थी। अतः उपरोक्त वर्णित दो अधिकारियों को इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 126/2020 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कार्यकारी सहायक पद पर उनके वरिष्ठ कर सहायक पद पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी।

यह पत्र मुख्य आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

चेतन जैन

11/11/23

(चेतन कुमार जैन)

प्रधान आयुक्त

By E-Mail

F.No.A.32022/15/2023-Ad.IIIA

भारत सरकार/ Government of India

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance

राजस्व विभाग/ Department of Revenue

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड/Central Board of Indirect Taxes & Customs

5thFloor, Hudco Vishala Building,
Bhikaji Cama Place, R.K. Puram,
New Delhi, dated Apr, 2023

To

1. The Chief Commissioner,
(Cadre Controlling Authority), Vadodara Zone,
E-mail:- ccu-cexvdr@nic.in
2. The Chief Commissioner of CGST, CX & Customs,
Bhuvaneshwar Zone,
E-Mail: ccbrsr@rediffmail.com, ccu-exbbr@nic.in
3. The Chief Commissioner Central Excise,
Jaipur Zone, NCR Building, Statue Circle, C- Scheme,
E-Mail:- ccu-cexjpr@nic.in
4. The Chief Commissioner CGST,
Ranchi Zone,
E-Mail:- ccu-cexranchi@nic.in, ccu-ccu-cexranchi@nic.in

Subject:- Factual Report from the CCA in respect of implementation of Board instructions dated 13.11.2020 and 06.01.2021- reg

Sir,

I am directed to refer to OA No 350/279/2023, titled as Bhaskar Bhowmick & Ors Vs Central Excise & Customs, (copy enclosed) filed before Hon'ble CAT Kolkata Bench with reference to Board's clarification dated 06.01.2021 and state as follows:

2. In the above said OA, the applicants have alleged that a few of the CCAs namely Ranchi, Jaipur, Vadodara and Bhubaneswar, have extended the benefits of para 3.1.3 of DOP&T dated 31.12.2010 to the similarly situated officers. In respect of Bhubaneswar Zone, it is stated in the OA that those who have joined after publication of EA RRs, 2015 i.e 28.09.2015 in ICT have been promoted to EA with the RRs of STA, 2003 vide order dated 16.12.2020, only they have been reverted vide order dated 06.01.2021.

3. On this position, it is noted that policy decision conveyed vide Board's letter dated 13.11.2020 & 06.01.2021 is clear. However, owing to the submissions made in the OA, at this stage, it is requested

I/65226/2023

to furnish remarks of CCA to the Board on the allegations made in para 4.16 of the OA.

Signed by Ravish Kumar
Date: 24-04-2023 10:44:56

Yours faithfully,

Encl: as above.

Reason: Approved

(Ravish Kumar)
Under Secretary to Govt of India
Ph.011-26162675
usad3-rev@gov.in

Copy to:

1 . The Principal Chief Commissioner of CGST & Central Excise,
(Kolkata Zone), 180, Shantipally, Rajdanga Main road, Kolkata-
700107, E-mail: ccu-cexkoa@nic.in, for information and necessary
action, if any.